Suspension of employees of NCCF

3771. SHRI KAILASH PATI MISHRA Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to answer to starred Question 249 given in the Rajya sabha on the 13th March, 1987 and state:

(a) whether certain junior employees of the NCCF at Delhi were chargesheeted/suspended for involvement in bungling cheating cases; and

(b) If so, reasons for taking no acton against the officers like Branch Manager, Assistant Manager, (Grocery), Assistant Manager (MC) etc. for their involvement in the same bungling/cheating cases; at what stage the suspension and prosecution of these officers rest at present?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Yes Sir;

(b) For lack of proper supervision over the persons engaged in the handling of imported sugar, explanations were called for from the Branch Manager, and two Assistant Managers of the Delhi Branch of the NCCF, which are under examination for appropriate action.

Setting up enquiry committee against Deputy Directors of Doordarshan

3772. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether orders had recently been issued for the setting up of an enquiry committee against some Deputy Directors of Doordarshan;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what action has been taken against the said officers pending the completion of the enquiry against them?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTNG (SHRI AJIT PANJA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise

ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशिक्षण केन्द्र

3773. श्रीमती रेणुका चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों के जीवन स्तर को उठाने और उनकी कार्य-कुशलता को विकसित करने के लिए शैक्षिक/प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने की एक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और अब तक कितने केन्द्रों की स्थापना की गई है और उन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) सामुदायिक पोलिटैक्नीक की एक योजना पहले से ही वर्ष 1978-79 से चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्नालॉजी का हस्तांतरण करने और वैज्ञानिक आधार पर सामुदायिक/ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए चुने गए पोलिटैक्नीकों को मुख्य केन्द्रों के रूप में कार्य करने हेतु चुना जाता है। जैसा कि अनुबन्ध-I में दर्शाया गया है, (देखिये परिशिष्ट CXLIV, अनुबन्ध संख्या 157] इस समय चुनी गई ऐसी 108 पोलिटैक्नीक/संस्थाएं हैं। योजना के अन्तर्गत इन सामुदायिक पोलिटैक्नीकों को सौंपे गए कार्यों में ये शामिल हैं-विभिन्न शिल्पों/व्यवसायों में अल्पावधि पाठ्यक्रमों के जरिए जनशक्ति का विकास और प्रशिक्षण, तकनीकी सेवाओं की व्यवस्था, समर्थन सेवाएं, टैक्नालाजी की विकसित और जांच की गई मदों का हस्तांतरण, ग्रामीण विकास में शामिल की गई विभिन्न एजेंसियों

विभागों के सहयोग से समन्वित ग्रामीण विकास की परियोजनाओं में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय निवेशों के जरिए प्रदर्शन तथा सूचना का प्रचार प्रसार एवं योगदान।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भी किसानों, खेतों पर काम करने वाली महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और कृषि उत्पादन तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में क्षेत्र-स्तरीय विस्तार कर्मचारियों की आवश्यकता पर आधारित और शिल्प अभिमुख प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 89 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। ये कृषि विज्ञान केन्द्र राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों और चुने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षार्थियों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए एक दिन से लेकर 6 माह की अलग-अलग अवधियों के लिए केम्पस के अंदर और केम्पस के बाहर दोनों तरह के पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रशिक्षण के विषय हैं : सस्य उत्पादन, बागबानी, मछली पालन, पशुपालन, डेरी उद्योग, मधुमक्खी पालन इत्यादि। कृषि विज्ञान केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा अनुबन्ध-1 में दिया गया है। [देखिये परिशिष्टCXLIV अनुपत्र संख्या 158]

इसके अलावा, गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के 18-35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी निपुणताएं प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 19/9 से ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राईसेम) की एक केन्द्रीय प्रोयोजित योजना भी चलाई जा रही है ताकि वे कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों, सेवा उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के क्षेत्रों में अपना रोजगार शुरू कर सकें विशिष्ट परिस्थितियों में परियोजना लिंकेजिज के मामले में प्रशिक्षित युवाओं को मजदूरी वाले रोजगार में शामिल करने के लिए अगस्त 1983 से इस उद्देश्य का और विस्तार किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम कवरेज प्रशिक्षण के लिए चुने गए कुल युवाओं का 30 प्रतिशत होना चाहिए। चुने गए उम्मीदवारों में महिलाओं का कवरेज कम से कम 33⅓ प्रतिशत होना चाहिए।

Role of various centres for the care of drug addicts

3774. SHRI RAMSINGHBHAI PATALIYABHAI RATHVAKOLI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is fact that a number of Centres and clinics are doing good work in Gujarat, Delhi and other places for Drug Addicts

(b) if so, what are the details thereof and the number of persons benefited during 1st January, 1988 to 31st October, 1987;

(c) how many persons have come in each Centre during the above period for medical care;

(d) the amount given and spent each Centre during the above period;

(e) what encouragement Government propose to give to these Centres; and

(f) whether Delhi Nashabandhi Samiti is also doing such activities; if so, how much grant and other facilities were provided to it by Government, NDMC, DMC, Delhi Administration during 1st Jan. 1985 to 31st October, 1987?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINSTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (f) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.